कार्यालय जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः– 263/नि0/2013

दिनांकः– 08/08/13

अनुज्ञा पत्र

....

खसरा नं0 123 व 155 स्थित ग्राम इलाहाबास पर स्थित कावेरी सहकारी आवास समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 26.07.13 के कम में जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर द्वारा पत्रांक –04 / नक्शा / जि0पं0गौ0 / 11–12 दिनांक–26.12.11 से एक अनुज्ञा पत्र एवं मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है। समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ग्राम–इलाहाबास की भूमि अर्जन के संबंध में जारी धारा 4 / 17की विज्ञप्ति दिनांक–07.10.1988 क्षेत्रफल 30.72 एकड व दिनांक 06.01.1992 क्षेत्रफल 79.381 एकड व दिनांक 26.06.2013 को जारी 6 / 17 की विज्ञप्ति क्षेत्रफल 33.156 एकड में खसरा नं0 123 व 155 सम्मिलित नही है।

आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के निर्देशानुसार नियत जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने अपनी आख्या पत्रांक–1775 / एस0टी0–ए0डी0एम0(ई0) / 2013 दिनांक–19जून 2013 में एस0डी0एम0 दादरी की जांच आख्या को संदर्भित किया है जिसमें एस0डी0एम0 द्वारा उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि में नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायत को है। प्रश्नगत भूमि का नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण तथा पुर्नग्रहण नही किया गया है जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी द्वारा स्वंय भी अपनी आख्या में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम–इलाहाबास ,तहसील–दादरी,जिला– गौतमबुद्धनगर स्थित प्रश्नगत भूमि खसरा सं0–123 व 155 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर के क्षेत्रान्तर्गत आती है।

आयुक्त द्वारा निर्धारित जांच अधिकारी की यह जांच आख्या जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–296 / एस0टी0–डी0एम0 / 2013–14 दिनांक–08 जुलाई 2013 में उपरोक्त समस्त तथ्यों को उल्लिखित कर आयुक्त महोदय को प्रेषित कर दी गयी है। उपरोक्त के आलोक्य में आयुक्त महोदय द्वारा पारित किये जाने वाले किसी भी निर्णय की अनुसीमा अन्तर्गत ही प्रभावी रहने योग्य जिला पंचायत द्वारा पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र पत्रांक–04 / नक्शा / जि0पं0गौ0 / 11–12 दिनांक–26.12.11 को पुनरीक्षित कर तत्समय समिति द्वारा प्रस्तावित कवर्ड एरिया 63019.202 वर्ग मी0, बाउन्ड्रीवाल 654.21 मी0, बेसमेंट 15662.74वर्ग मी0 के लगभग समान वर्तमान में समिति द्वारा प्रस्तावित कवर्ड एरिया 63546.175वर्ग मी0, बाउन्ड्रीवाल 658.52 मी0, बेसमेंट 6525.459मी0 के अनुसार पुनरीक्षित मानचित्र की स्वीकृति उ0प्र0 गजट 10 अक्टूबर 1998 में प्रकाशित 10 सितम्बर 1998 सं0–1045 / 23–2–210–96–98 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2 के अन्तर्गत एवं अधिकृत वास्तुविद द्वारा प्रस्तावित भवन का मानचित्र,स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन कोड सं0– IS-456:2000, IS-875 safety Norms of Indian Standard के अनुसार होने, भूकम्प रोधी मानको के अनुसार बनाये जाने तथा वर्तमान IS coad- IS-1893:2002 and IS-13920 के अनुसार होने आदि समस्त का परीक्षण कर डा0 नजरूल इस्लाम, प्रो0

अभियन्ता
जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गौतम बुद्ध नगर

स्ट्रक्चर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सीविल इंजी0, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली–25(केन्दीय विश्वविधालय) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं अधिकतम ऊँचाई 45मी0 तक निर्मित किये जाने हेतु संलग्न मानचित्र हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमि पर हाईट क्लीयरेंस हेतु 60मी0 ऊँचाई हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सं0 AAI/NOC/2013/227/1643 date- 20.06.13 के अनुक्रम में स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है कि–

1–स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी।

2–किसी विकास कार्य के लिए जिला पंचायत कोई व्यय नही करेगी एवं परिवर्तन की दशा में पुनः आवेदन
करना होगा।

3–यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष तक वैध माना जायेगा।

4–भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

5–यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय
होगा।

6–बिजली की लाईन से पांच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जाये एवं निर्माण कार्य में इंण्डियन
इलैक्ट्रीसिटी नियमों का पालन किया जाये।

7–सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रैम्प स्टैप्स नही बनाये जायेंगे।

8–संस्था/प्रार्थी के द्वारा जल एवं मल के निकासी की व्यवस्था उचित प्रकार एवं स्वंय करनी होगी तथा उपयोग से पूर्व सीवर एवम ड्रेनेज की अग्रिम प्रवाह की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी।

9–निर्माण हेतु अग्निशमन विभाग से निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

10–भवन निर्माण योग्यता प्राप्त इंजीनियर/आर्किटेक्ट की देख रेख में कराया जायेगा एवं संरचना व
स्पेसिफिकेशन्स की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था/प्रार्थी की स्वंय की होगी।

11–मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका,नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित (एफेक्टेड) नही माना जायेगा।

12–सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक संस्थान लोक निर्माण विभाग तथा भवन निर्माण से संबंधित राज्य व केन्द्र स्तरीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्गत किये गये अद्यतन मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। निर्मित भवन अथवा उसका कोई भी अंश निर्माण काल में अथवा उसके पश्चात , उपरोक्त दिशा निर्देशों व संस्थानों के मानको के अनुसार न पाये जाने पर भूःस्वामी/निर्माण कर्ता उत्तरदायी होगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गौतम बुद्ध नगर

13--स्वीकृत मानचित्र सीमा अन्तर्गत स्वीकृत भूभाग पर ही यह अनुज्ञा पत्र तथा मानचित्र की स्वीकृति प्रभावी होगी। भूस्वामी की अन्य कोई भी भूमि , चाहे वह इस मानचित्र से कितनी भी समीप अथवा दूरी पर क्यों न हो , यह स्वीकृति किसी भी स्थिति में लागू नही होगी।

14--किसी भी सक्षम / मा0 न्यायालय द्वारा इस भू भाग एवम स्वीकृत अनुज्ञा पत्र के संबंध में पारित निर्णय भूःस्वामी एवम निर्माण कर्ता पर बाध्य होगा इस हेतु विभाग उत्तरदायी नही होगा।

15--निर्माण कार्य कराते समय आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में दर्शायें गये विवरणों के अतिरिक्त अन्य जरूरी बिल्डिंग उपनियम (जिला पंचायत) के अनुसार कराया जायेगा।

16--कार्य आवागमन अवरूद्ध किये बिना पूर्ण किया जायेगा।

17--कार्य पूर्ण होने पर एक सप्ताह के अन्दर विभाग को सूचित करना होगा।

18--कार्य पूर्ण होने पर जिला पंचायत से एक माह के अन्दर पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रतिवेदन देना होगा।

19--अन्य विभागों से अदेय एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता पड़ने पर लेने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

20--स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके।

21--ग्रीन नेशनल जी0एन0टी0 तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा।

22--कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रेन वॉटर हार्वेसटिंग तथा सीवरेज प्लॉन तथा ड्रेनेज प्लॉन प्रस्तुत करना होगा।

8.8.13

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः- 263/ नि0/ 2013 दिनांकः- 08/08/13

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गौतम बुद्ध नगर

प्रतिलिपिः--सम्बन्धित नक्शा मालिक, गौतमबुद्धनगर।

2-अवर अभियन्ता जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर को इस आशय के साथ कि नियमानुसार कार्यवाही करें।

अभियन्ता
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर।
O/C

अभियन्ता
जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर